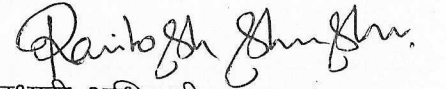


कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय चन्दौली।

नीलामी सूचना संख्या 01/2026 दिनांक 19.02.2026 के द्वारा इन्टीग्रेटेड 37 कोर्ट कॉम्प्लैक्स के निर्माण में बाधक 23 सागौन के पेड़ की नीलामी हेतु दिनांक 27.02.2026 को अपरह्न 1.30 बजे नीलामी के लिए गठित समिति के समक्ष शर्तों के आधार पर नीलामी की जानी थी, परन्तु नीलामी में मात्र 3 ठेकेदार उपस्थित हुए जिसमें से श्रीमती मालती देवी, प्रो. प्रदीप फर्नीचर सेंटर तिलौरी चकिया चन्दौली का कागजात वैध पाया गया शेष 02 ठेकेदारों के कागजात वैध नहीं पाये गये, जिस कारण नीलामी की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण नहीं हो सकी।

अतः नीलामी की अगली तिथि पूर्व में निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 07.03.2026 को अपरह्न 1.30 बजे नियत की जाती है।



प्रभारी अधिकारी नजारत/

अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-II

जनपद न्यायालय चन्दौली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमान् निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश चन्दौली को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् जिलाधिकारी, चन्दौली।
4. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व चन्दौली।
5. जनपद न्यायालय चन्दौली के नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला चन्दौली की वैधानिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सिविल जज (जू.डि.) चकिया चन्दौली को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. वन मण्डल अधिकारी, रामनगर, वाराणसी को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
8. श्रेत्रीन वनाधिकारी चन्दौली को प्रचार-प्रसार हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, चन्दौली को शासनादेश संख्या 562/उन्नीस-2-2007-1007/74(T.C.) दिनांक 04.07.2007 के अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र में निशुल्क विज्ञापित प्रकाशित कराने हेतु।
10. नाजिर, जिलाधिकारी, चन्दौली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. नाजिर, मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग वाराणसी एवं ई.पी.सी. कान्ट्रैक्टर को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभारी अधिकारी नजारत/

अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-II

जनपद न्यायालय चन्दौली।